उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालयः बांदा, डी.एम. कॉलोनी, गली नं0 1, बांदा- 210001

सार्वजनिक बिक्री/ नीलामी सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक बिक्री / नीलामी सूचना

जबकि, **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा** के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सस्पत्तियों की नीलामी **"जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं)/विधिक वारिस को एतदद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को **दिनांक 07.03.2026** को या उससे पहले, **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली **दिनांक 09.03.2026** को समय सायं 04:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/ज़मानतकर्ता/ बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रू0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखाः कालूकुआं, मो0– 8188089111					
1.	**ऋणीः श्री राम सुफल साहू पुत्र शिव सरन साहू, जमानतकर्ता/ बंधककर्ताः 1. श्री गजेंद्र साहू पुत्र श्री शिव सरन साहू, 2. श्री शिव सरन साहू पुत्र श्री जगमोहन साहू, सभी निवासी** डी.आर. पब्लिक स्कूल के पास, धीरज नगर, तिंदवारी रोड, कालूकुआं तहसील व जिला– बांदा– 210001	सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर आवासीय मकान– गाटा संख्या 1290 मि. मौजा लड़ाकापुरवा जेड एरिया, धीरज नगर, तिंदवारी रोड, कालूकुआं, तहसील एवं जिला बांदा 210001, विक्रय विलेख दिनांक 09.02.2011, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 3748, पृष्ठ संख्या 365 से 396, क्रमांक 804, दिनांक 09.02.2011 को उप–रजिस्ट्रार बांदा में पंजीकृत, **पूर्व से पश्चिम– 50 फीट, उत्तर से दक्षिण– 15 फीट, कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट (69.70 वर्ग मीटर), मालिकः श्री राम सुफल साहू पुत्र श्री शिव सरन साहू, चौहद्दीः उत्तरः** गुलाब रानी का मकान, **दक्षिणः** विक्रेता की अराज़ी, **पूर्वः** पी.एन. शुक्ला का मकान, **पश्चिमः** 12 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता	**31.05.2023** **15.09.2023** सांकेतिक कब्जा	**रू. 8,96,058.78** दिनांक 31.05.2023 तक+ ब्याज एवं अन्य खर्चें	**16,50,000.00** **1,65,000.00**

बिक्री के नियम एवं शर्तेः 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति और फोटो के साथ में अपनी बोली जमा करनी होगी। **(लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए), 2.** बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में **बांदा** में देयरोग्य एवं **प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक** के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। **3.** सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा , अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। **4.** प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **5.** प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। **6.** सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एव पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वय करना होगा। **7.** यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। **8.** बोली/ बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है " और "वहां जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जा रहा है। **9.** अगर कोई कर्जदार/ गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। **अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप – धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10.** यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। **11.** यह बिक्री नोटिस कर्जदारों /गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। **12.** बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि **https://upgbank.com/sarfaesinotice.php.** देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें , अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो एसे उचित ब्याज , प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 30.01.2026 स्थानः बांदा प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक